



( सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव )

### बिहार विधान सभा सचिवालय

( सप्तादश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र )

फरवरी-अप्रैल, 2023 की कार्यसूची

( खण्ड-07 )

दिनांक-17 मार्च, 2023

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - ऊर्जा विभाग

124. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि “ऊर्जा विभाग” के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **115,36,83,67,000/-** (एक सौ पाँदह अरब छत्तीस करोड़ तिरासी लाख सड़सठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव गम्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 125-130. श्री संजय सरावगी, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह, श्री अखतरस्ल ईमान एवं डॉ० सौ०एन० गुप्ता प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

131. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि “मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग” के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **6,00,61,54,000/-** (छः अरब इक्सठ लाख चौवन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव गम्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।\*

- 132-134. श्री संजय सरावगी, श्री अरुण शंकर प्रसाद एवं श्री अखतरस्ल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या - 35**

**आय-व्ययक शीर्षक - योजना एवं विकास विभाग**

135. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "योजना एवं विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **22,16,98,72,000/-** (बाईस अरब सोलह करोड़ अंटानवे लाख बहतर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 136-137. श्री संजय सरावगी एवं श्री अखितरल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या - 27**

**आय-व्ययक शीर्षक - विधि विभाग**

138. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधि विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **11,67,56,28,000/-** (ग्यारह अरब साड़ेसठ करोड़ छप्पन लाख अद्वाईस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 139-140. श्री संजय सरावगी एवं श्री अरुण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की विधि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

उपर्युक्त खण्ड-07 (दिनांक-17.03.2023) में सम्मिलित अनुदान की माँगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों से संबंधित पूर्व में निर्गत ज्ञापांक-1245, दिनांक-06.03.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

पवन कुमार पाण्डेय  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

**कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।**

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1508

/वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्याण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*16.3.2023*  
(असीम कुमार)

निदेशक,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1508

/विंस०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

*m*  
16.3.2023

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1508

/विंस०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (तीन प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*m*  
16.3.2023

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

*m*  
16.3.2023